

मुकदमों का विवरण

के. हैमावती

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2023 की आपराधिक अपील No.2743)

सितंबर 06, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय यदि प्रतिवादी No.2-accused u/ss के खिलाफ अपीलार्थी के नेतृत्व में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में न्यायसंगत साबित होता है। 138 और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह रद्द करने के लिए एक अंतिम मामला था क्योंकि अभियोजन की मांग करने वाली शिकायत कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण के संबंध में नहीं थी।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881**-ऋण यदि कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है-यू/एस की शक्तियों का प्रयोग। **482**, सीआरपीसी-कार्यक्षेत्र:

आयोजित किया गया: क्या विचाराधीन ऋण कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण है या अन्य देयता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और उस प्रकाश में, यह प्रश्न उठेगा कि क्या यू/एस की शक्ति है। 482, ऐसे मामले के तथ्यों में सी. आर. पी. सी. का प्रयोग किया जाना है या नहीं किया जाना है-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने खुद को यह कहते हुए गलत निर्देश दिया कि चूंकि चेक (2017) जारी करने की तारीख वचन पत्र (2012) जारी करने की तारीख से तीन साल से अधिक है, इसलिए यह एक समय-बाधित ऋण है-जब प्रतिवादी दिसंबर, 2016 के भीतर राशि चुकाने के लिए सहमत हो गया था, तो दिसंबर 2016 के भीतर भुगतान नहीं करने पर उक्त राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने का कारण केवल दिसंबर, 2016 के महीने में ही उत्पन्न होगा-इस प्रकार, सीमा अधिनियम, 1963 में अनुसूची के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत प्रदान की गई सीमा होगी-एक निश्चित समय पर देय वचन पत्र के संबंध में,

412 413

के. हैमावती बनाम आंध्र प्रदेश और ए. एन. आर. राज्य।

दिनांकित 28.04.2017 सीमा की अवधि के भीतर है-2017 के CC No.681 में शिकायत 11.07.2017 पर की गई थी, जैसा कि सभी समान शिकायतों में होता है-इसलिए, न केवल राशि कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण थी, शिकायत भी समय के भीतर की गई थी-यू/एस

द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था।⁴⁸², शिकायत को रद्द करने के लिए सी. आर. पी. सी.-आदेश को रद्द आक्षेपित गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-अनुबंध अधिनियम, 1872 -धारा 25 (3)-सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 34।[पैरा 12,13,15-17]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881**-ऋण/दायित्व यदि सीमा द्वारा वर्जित है, तो साक्ष्य के आधार पर तय किया जाएगा-यू/एस को रद्द करना।**482**, सी. आर. पी. सी. को केवल तभी उचित ठहराया जाता है जब ऋण चुकाने योग्य न हो:

आयोजित किया गया:क्या ऋण या देयता को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है, इसका निर्णय प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना है क्योंकि सीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है-यह केवल उन मामलों में है जहां एक राशि जो गैर-वसूली योग्य है, जिसके लिए एक चेक जारी किया जाता है, जिसका अपमान किया जाता है और जिसकी वसूली के लिए एक आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है, सीमा क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न होगा-ऐसे मामलों में, न्यायालय यू/एस।⁴⁸², सी. आर. पी. सी. को हस्तक्षेप करने में न्यायोचित ठहराया जाएगा लेकिन अन्यथा नहीं-यू/एस. के तहत एक याचिका का मनोरंजन करना।⁴⁸², सी. आर. पी. सी. द्वारा साक्ष्य से पहले के स्तर पर कार्यवाही को रद्द करना न्यायसंगत नहीं होगा-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482।[पैरा 10]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, **1881 -s.139**-निवेदन करें कि यदि चेक उस ऋण के संबंध में जारी किया जाता है जो लागू करने योग्य नहीं है या एक देयता है जिसे वसूल नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में, यू/एस.**139** उपलब्ध नहीं है:

आयोजित किया गया:मामले के उस पहलू पर एक अकादमिक अभ्यास करने के लिए उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तथ्यों पर, चेक के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष शिकायत में किए गए दावे को समय-बाधित के रूप में नहीं माना जा सकता है-इस प्रकार, इसे एक ऐसे ऋण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जो कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं था-अनुबंध अधिनियम, 1872 -धारा 25 (3)-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482।[पैरा 12]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

एस. नटराजन बनाम समा धर्मन, (2021) 6 एससीसी 413; ए. वी. मूर्ति बनाम

बी. एस. नागबसवन्ना, (2002) 2 एस. सी. सी. 642:[2002] 1 एस. सी. आर. 906-पर निर्भर।

414 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

एन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों का त्वरित परीक्षण, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन

एस. सी. 325-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2743।

2018 के सी. आर. एल. पी. No.12675 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.02.2019 के निर्णय और आदेश से।

सह

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2746,2744 और 2745।

रूप:

संचित गर्ग, अमन चावला, करण दुआ, निकुंज जैन, माधव आनंद, कुणाल राणा, अधिवक्ता।
अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड., महफूज अहसान नाज़की, पोलांकी गौतम, टी. विजय भास्कर रेड्डी, सुश्री नीति रिचरिया, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, श्रीमती के. शारदा देवी, आर. विजय नंदन रेड्डी, वी. कृष्णा स्वरूप, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश
निर्णय

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी 2018 की आपराधिक याचिका संख्या 12675 और समान याचिकाओं में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय पर हमला कर रहा है। निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो 2017 का सी. सी. No.681 था और विशाखापत्तनम में द्वितीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें थीं। अपीलार्थी 2017 के सी. सी. सं. 681 में शिकायतकर्ता है और अभियुक्त के खिलाफ अन्य शिकायतें-प्रत्यर्थी सं.2 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन. आई. 415) की धारा 138 और 142 के अंतर्गत

के. हैमावती बनाम आंध्र प्रदेश और ए. एन. आर. राज्य। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 416

अधिनियम 'संक्षेप में')। इसलिए अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय से व्यथित होने का दावा कर रहा है।

3. उपरोक्त अपील के प्रथम भाग में वर्णित मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं.2 एक-दूसरे को जानते हैं। उनके परिचित होने के कारण उत्तरदाता नं.2 अपीलार्थी ने रुपये की राशि उधार लेने के लिए संपर्क किया-यह कहते हुए कि उसे अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए चिकित्सा की पढ़ाई और घरेलू खर्चों के लिए राशि की आवश्यकता है। पुनः भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्यर्थी नं.2 25.07.2012 पर एक वचन पत्र निष्पादित किया गया जिसमें यह सहमति हुई कि राशि का पूर्ण भुगतान और प्रति माह 2 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाना था। वचन पत्र में एक शर्त थी कि पूर्ण और वित्तीय भुगतान दिसंबर, 2016 तक कर दिया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 2 वचन पत्र में शर्त का पालन करने में विफल रहा, लेकिन 28.04.2017 पर विजया बैंक, जे. पी. मार्ग, विशाखापत्तनम पर एक करोड़ रुपये की राशि के लिए No.548045 वाला एक चेक जारी किया। 10,00,000-ऋण के आंशिक निर्वहन के लिए। जब चेक को संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया तो बैंक ने चेक को सम्मानित करने के लिए इनसफीसिएंट फंड के कारण 15.05.2017 पर वापस कर दिया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांकित 24.05.2017 का कानूनी नोटिस जारी किया, जिसका उत्तर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 01.06.2017 पर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त उत्तर के लिए 03.06.2017 पर एक प्रत्युत्तर भेजा। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त उत्तरदाता को 07.06.2017 पर जवाब भेजा। इसके बाद अपीलार्थी ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत विशेष मजिस्ट्रेट, विशाखापत्तनम के समक्ष 2017 की सी. सी. संख्या 681 और इसी तरह की शिकायतों का नेतृत्व किया। विद्वान विशेष मजिस्ट्रेट ने विधि के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत का संज्ञान लिया और समन जारी करने का आदेश दिया। 4. वचन पत्र की तारीख और चेक की तारीख को छोड़कर समान अपीलों में तथ्य की स्थिति भी समान है। हालांकि, सभी वचन पत्रों में संकेतित पुनर्भुगतान की अवधि समान है और विचार के लिए उत्पन्न होने वाले अन्य सभी तथ्य समान हैं। अतः विधि के कथन और विचार के उद्देश्य से, एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील से संबंधित तथ्य। 2019 का No.7455 यहाँ संदर्भित है।

5. तथापि, प्रतिवादी संख्या 2 ने 2018 के CRL.P No.12675 में याचिका का नेतृत्व किया और उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 482 के अंतर्गत समान याचिकाओं का नेतृत्व किया।

/

[2023] 14 एस सी आर।

2017 के सी. सी. सं. 681 और इसी तरह की शिकायतों के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 482 सीआरपीसी के अंतर्गत दायर याचिकाओं को अनुज्ञात कर लिया। 2 इसमें, इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि वचन पत्रों को लागू करने की सीमा प्रश्नगत चेक जारी होने से बहुत पहले समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया

गया कि यह रद्द करने के लिए एक अंतिम मामला था क्योंकि अभियोजन की मांग करने वाली शिकायत कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण के संबंध में नहीं थी।

6. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री संचित गार्गा ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस बात की सराहना नहीं करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निष्पादित वचन पत्र में अनुबंध का बाध्यकारी प्रभाव है और इसलिए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत तब कायम रखी जा सकती है जब पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान करने के लिए चेक निकाला जाता है, एक ऐसा ऋण जो प्रवर्तनीय है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह चेक भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) द्वारा शासित एक वादे के बराबर है। ऐसा वादा जो एक समझौता है, सामान्य नियम का एक अपवाद है कि बिना विचार के एक समझौता अमान्य है। यद्यपि चेक जारी करके इस तरह का वादा करने की तारीख को, जिस ऋण का भुगतान करने का वादा किया गया है, भले ही वह समय-बाधित हो, वह कानूनी रूप से वसूली योग्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को देखते हुए, वादा/समझौता वैध है और इसलिए इसे लागू किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस सिद्धांत पर तर्क दिया है कि सीमा अधिनियम केवल उपचार को प्रतिबंधित करता है न कि किसी पक्ष के अधिकार को। उन्होंने एस में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

नटराजन बनाम समा धर्मन, **(2021) 6 एस. सी. सी. 413** और ए. वी. मूर्ति बनाम बी. एस. नागबसवन्ना, **(2002) 2 एस. सी. सी. 642**।

7. श्री सिद्धार्थ लूथरा, प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से न्यायमित्र के रूप में पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील-आरोपी, जो नोटिस की सेवा के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहे हैं, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। विद्वान न्यायमित्र ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए अलग-अलग दृष्टिकोण के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा बताए गए विधि की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला एक संकलन रिकॉर्ड पर रखा है। यह तर्क दिया जाता है कि पहले के दृष्टिकोण में यह विचार करते हुए कि धारा 139 एन. आई. अधिनियम के अंतर्गत धारणा लागू होगी, आपराधिक मुकदमे में गुंजाइश और 417 में निर्णय के आलोक में सी. आर. पी. सी. की धारा 322 के असर पर विचार नहीं किया गया था।

के. हैमावती बनाम आंध्र प्रदेश और ए. एन. आर. राज्य। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 418

एन. आई. अधिनियम 1881, (2021) एस. सी. सी. की धारा 138 के अंतर्गत मामलों की त्वरित सुनवाई

ऑनलाइन एस. सी. 325 और इस प्रकार धारा 138 एन. आई. अधिनियम को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकार तथ्य पर विचार नहीं किया। यह आगे तर्क दिया जाता है कि समय-बाधित होने वाला ऋण विधि की रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं था और जहां एक ऋण विधि

द्वारा वर्जित है, एक शून्य अनुबंध पर आधारित ऐसा ऋण या देयता सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और ऐसे मामलों में एन. आई. अधिनियम लागू नहीं हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को आकर्षित करने के लिए, व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए और हस्ताक्षरित एक स्पष्ट वादे की आवश्यकता है।

8. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर ध्यान देना उचित होगा ताकि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के अंतर्गत एक याचिका में विचार के दायरे को परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके, विशेष रूप से एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत शामिल धारणा को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, विद्वान वकील ने निर्णय पर भरोसा किया है

एस. नटराजन बनाम समा धर्मन और अन्न के मामले में। (2021) 6 एस. सी. सी. 413

जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है: “6. उच्च न्यायालय ने अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) का उल्लेख किया, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा निर्भरता रखी गई थी और कहा कि समयबद्ध ऋण के भुगतान के संबंध में, ऋण का पूरा या आंशिक भुगतान करने का एक अलग वादा होना चाहिए; कि वादा या तो संबंधित व्यक्ति द्वारा या उसके विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने तब कहा कि जब तक समयबद्ध ऋण के भुगतान के संबंध में नोवेशन के रूप में एक विशिष्ट सी निर्देश नहीं बनाया जाता है, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर गौर किया कि क्या चेक जारी करना स्वयं समयबद्ध ऋण का भुगतान करने का वादा है और एन. आई. अधिनियम की धारा 4 और 6 को संदर्भित किया। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के प्रश्न पर कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 132 के साथ पठित धारा 138 को लागू करने के उद्देश्य से, विचाराधीन चेक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देयता के संबंध में जारी किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने तब कहा कि चूंकि चेक जारी करने के समय यानी आई. डी. 1 पर अभियुक्त का कथित ऋण समय-बाधित हो गया था, इसलिए कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

/

[2023] 14 एस सी आर।

7. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर शिकायत को रद्द करने में गलती की कि ऋण या देयता को सीमा से रोक दिया गया था और इसलिए, अभियुक्त के खिलाफ कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं थी। उच्च न्यायालय के समक्ष मामला ऐसी प्रकृति का नहीं था जो उच्च न्यायालय को इस स्तर पर इस तरह का निर्णायक निष्कर्ष

निकालने के लिए राजी कर सके। ऋण समय-बाधित था या नहीं, यह सबूत पेश किए जाने के बाद ही तय किया जा सकता है, क्योंकि यह विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। "

9. विद्वान वकील ने आगे मामले में निर्णय का उल्लेख किया है।

ए. वी. मूर्ति बनाम। बी. एस. नागबसवन्ना (2002) 2 एस. सी. सी. 642 जिसमें यह है

इसे निम्नानुसार रखा गया है: "5. चूंकि शिकायत को सीमा पर खारिज कर दिया गया है, इसलिए हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि मामले को अभी तक पक्षों द्वारा उत्तेजित नहीं किया गया है। लेकिन, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान सत्र न्यायाधीश और विद्वान एकल न्यायाधीश ने शिकायत की कार्यवाही को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। अधिनियम की धारा 118 अंतर्गत एक धारणा है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए तैयार किया गया था। यहां तक कि अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत भी, यह निर्दिष्ट रूप से कहा गया है कि यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि किसी चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत, लिखित रूप में किया गया एक वादा और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जिसे उससे आरोपित किया जाना है, या उसके एजेंट द्वारा आम तौर पर या विशेष रूप से अधिकृत किया गया है उस ओर से, पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक ऋण का भुगतान करने के लिए जिसका भुगतान लेनदार ने लागू किया होगा, लेकिन मुकदमे की सीमा के लिए विधि के लिए, एक वैध अनुबंध है। इसके अलावा, तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी ने, अपीलार्थी द्वारा दिए गए ऋण के बाद हर वर्ष के लिए तैयार की गई अपनी तुलन-पत्र में, राशि को मित्रों से जमा राशि के रूप में दिखाया था। 31-3-1997 पर बैलेंस शीट की एक प्रति भी हमारे सामने पेश की जाती है। यदि प्रत्यर्थी द्वारा उधार ली गई राशि बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, तो यह राशि 419 हो सकती है।

के. हैमावती बनाम आंध्र प्रदेश और ए. एन. आर. राज्य। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 420 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

स्वीकृति के लिए और लेनदार के पास उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि हो सकती है जिस दिन स्वीकृति दी गई थी। हालाँकि, हम इन सभी पहलुओं पर कोई वास्तविक राय व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें प्रतिवादी के बचाव के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

6. यह ऐसा मामला नहीं है जहां ऋण या देयता के संबंध में चेक निकाला गया था, जिसे विधि के अंतर्गत लागू करने से पूरी तरह से रोक दिया गया था। यदि उदाहरण के लिए, चेक एक दांव अनुबंध के अंतर्गत देय ऋण या देयता के संबंध में तैयार किया गया था, तो यह कहा

जा सकता था कि ऋण या देयता विधि ी रूप से लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि यह एक दावा है, जो विधि के अंतर्गत निषिद्ध है। यह मामला उस तरह का नहीं है। लेकिन हम निश्चित हैं कि कार्यवाही के इस स्तर पर, यह कहना कि प्रतिवादी द्वारा खींचा गया चेक किसी ऋण या दायित्व के संबंध में था, जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं था, स्पष्ट रूप से अवैध और गलत था। "

10. प्रतिपादित विधि ी स्थिति के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय एन. आई. अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि चेक स्वयं भुगतान करने का एक वादा है, भले ही ऋण समय द्वारा वर्जित हो, उस परिस्थिति में अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) में निहित प्रावधान को ध्यान में रखा गया है और संकेत दिया है कि यदि यह प्रश्न कि क्या ऋण या दायित्व को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना ऐसी कार्यवाही में विचार करने का मुद्दा था, तो इसका निर्णय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना है क्योंकि सीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है। यह केवल उन मामलों में है जब एक राशि जो गैर-वसूली योग्य है, जिसके लिए एक चेक जारी किया जाता है, जिसका अपमान किया जाता है और जिसकी वसूली के लिए एक आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है, सीमा क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न होगा। ऐसे मामलों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को हस्तक्षेप करने में न्यायसंगत ठहराया जाएगा, लेकिन अन्यथा नहीं। उस संदर्भ में, इस न्यायालय का विचार था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका पर सुनवाई करना न्यायसंगत नहीं होगा।

11. उपरोक्त के बावजूद, विद्वान न्यायमित्र यह प्रस्तुत करेंगे कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों को संविधान पीठ के बाद के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।

एन. आई. अधिनियम, 2021 की धारा 138 के अंतर्गत मामलों की त्वरित सुनवाई के मामले में इस न्यायालय के एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325 का तर्क है कि उक्त निर्णय में

सी. आर. पी. सी. की धारा 322 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामले में जहां विचारण न्यायालय को सूचित किया जाता है कि उसके पास अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायतों के लिए प्रक्रिया जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ऐसे मामलों में कार्यवाही पर रोक लगानी होगी। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत की अपनी अधिकारिता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति को छीन नहीं लिया जाता है और उस परिस्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग न्यायसंगत होगा। विद्वान न्यायमित्र द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 25 (3) के अंतर्गत चेक के अपमान के लिए आपराधिक कार्यवाही पर लागू होने की स्थिति की भी एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के

स्पष्टीकरण में निहित प्रावधान की पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए, जो निर्दिष्ट करता है कि ऋण या अन्य दायित्व केवल कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व होगा। ऐसी परिस्थितियों में यदि चेक उस ऋण के संबंध में जारी किया जाता है जो लागू करने योग्य नहीं है या एक देयता है जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में, एन. आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान उपलब्ध नहीं होगा।

12. उद्धृत निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि एस. नटराजन और ए. वी. मूर्ति (उपरोक्त) के निर्णय में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। किसी अन्य विस्तार की आवश्यकता नहीं है, भले ही एन. आई. अधिनियम (उपरोक्त) की धारा 138 के अंतर्गत मामलों के त्वरित परीक्षण के मामले में निहित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि, क्या विचाराधीन ऋण कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण है या अन्य दायित्व प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उत्पन्न होगा और उस प्रकाश में यह प्रश्न कि क्या धारा 482 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाना है या नहीं, ऐसे मामले के तथ्यों में भी उत्पन्न होगा। अन्यथा भी हम मामले के उस पहलू पर एक अकादमिक अभ्यास करने के लिए उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं देखते हैं, क्योंकि मामले में शामिल तथ्यों से प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत मिलता है कि जिस चेक का अपमान किया गया था, उसके आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष शिकायत में किया गया दावा समय-बाधित के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस तरह इसे एक ऐसे ऋण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जो कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं था, जिसका विवरण हम यहां नीचे विज्ञापन करेंगे। उस दृष्टिकोण से, हमने दिए गए मामलों को संकलन के रूप में संदर्भित नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि इसका उल्लेख करना अनावश्यक होगा।

421

के. हैमावती बनाम आंध्र प्रदेश और ए. एन. आर. राज्य। [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 422

13. इस संबंध में आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह पता चलेगा कि आक्षेपित आदेश के पैरा 4 में निहित विवरण से ही यह संकेत मिलेगा कि उसमें विचार केवल दो तथ्यों पर किया गया था जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, (i) कि वचन पत्र वर्ष 2012 के हैं, (ii) कि चेक वर्ष 2017 में जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि चेक जारी करने की तारीख वचन पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल से अधिक है ताकि इसे समय-बाधित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। इस संबंध में, अभिलेख के अवलोकन पर हम ध्यान देते हैं कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है, एक स्पष्टिखा पर आगे बढ़ा है और इसलिए अपने निष्कर्ष में गलती की है।

14. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सभी चार मामलों में तथ्य लगभग समान हैं और इस तरह वर्णन के उद्देश्य से दिनांकित वचन पत्र का अवलोकन (अनुबंध पी/1) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार दर्ज करेगा:

“.....एतद्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि मैंने अपने परिवार के खर्चों को पूरा करने और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 00,000/- (शब्दों में: केवल बीस लाख रुपये) की नकद राशि एकत्र करके ऊपर दिखाई गई ऋण राशि का लाभ उठाया है, जिसके लिए मैं इसके द्वारा प्रति माह 2/- रुपये (शब्दों में: केवल दो रुपये) का मासिक ब्याज देने के लिए सहमत हूँ।

महीने और इसके द्वारा पूरी तरह से समझते हैं कि मैं आपको या किसी अन्य को कुल भुगतान सुनिश्चित करके दिसंबर 2016 की तारीख के भीतर पूंजी या मूल ऋण राशि के साथ-साथ सहमत देय मासिक ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए वचन के आधार पर बाध्य हूँ।

आपके द्वारा निर्देशित आपके समनुदेशकों द्वारा देय राशि को अपने घर ले जाकर वहां भुगतान करें।

(जोर दिया गया) 15.उपरोक्त निकाले गए और जोर दिए गए हिस्से के अवलोकन से संकेत मिलता है कि दिसंबर, 2016 के भीतर अर्जित ब्याज के साथ मूल राशि का भुगतान करने का वादा किया गया है।इसलिए, जब प्रतिवादी दिसंबर, 2016 के भीतर राशि चुकाने के लिए सहमत हो गया था, तो दिसंबर 2016 के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर उक्त राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने का कारण दिसंबर, 2016 के महीने में ही सामने आएगा।उस आलोक में, सीमा अधिनियम, 1963 में अनुसूची के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत प्रदान की गई सीमा होगी।आसान संदर्भ के उद्देश्य से, इसे नीचे निकाला गया है:

/

[2023] 14 एस सी आर।

अनुसूची

सीमाक लक्षणसभ

सूट का विवरण	सीमा अवधि जिसके बाद से	अवधि शुरू होती है
सूट का विवरण	सीमा अवधि जिसके बाद से	अवधि शुरू होती है
भाग II-अनुबंधों से संबंधित मामले		
34. एक निश्चित समय पर, देखने के बाद या मांग के	तीन साल	जब निर्धारित समय समाप्त हो जाता है।

(जोर दिया गया) 16। यह प्रावधान इंगित करेगा कि एक निश्चित समय पर देय वचन पत्र के संबंध में, तीन साल की सीमा की अवधि तब चलने लगेगी जब निश्चित समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए, तत्काल मामले में, समय दिसंबर, 2016 के महीने से चलना शुरू हो जाएगा और सीमा की अवधि तीन साल के अंत में समाप्त हो जाएगी, यानी दिसंबर, 2019 के दौरान। उस संदर्भ में, Rs.10,00,000/- के लिए जारी किया गया चेक, जो कि यहाँ विषय वस्तु है, दिनांकित 28.04.2017 है जो सीमा की अवधि के भीतर है। 2017 के सी. सी. No.681 में शिकायत का नेतृत्व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 11.07.2017 पर किया गया था। समान शिकायतों में भी ऐसा ही होता है। इसलिए, तत्काल मामले में न केवल राशि कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण थी जो इसके सामने स्पष्ट है, बल्कि शिकायत को भी समय के भीतर दर्ज किया गया था। इसलिए तत्काल मामले में शिकायत को रद्द करने के लिए धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था। उस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की आपराधिक याचिका (आईडी1), 12670, 12675 और 12676 आक्षेपित दिनांक (आईडी2) का आदेश पोषणीय नहीं है।

17. आक्षेपित आदेश को तदनुसार अलग कर दिया जाता है।

18. 2017 की सी. सी. No.681, 2017 की सी. सी. No.644, 2018 की सी. सी. No.250 और 2018 की सी. सी. No.254 वाली शिकायतों को मुख्य महानगर दंडाधिकारी, विशाखापत्तनम के न्यायालय में बहाल कर दिया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि 423

के. हैमावती बनाम आंध्र प्रदेश और ए. एन. आर. राज्य। [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

मामला वर्ष 2017 से लंबित है, विचारण न्यायालय अब जितनी जल्दी हो सके मामलों पर आगे बढ़ेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में इस निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करेगी।

19. इस मामले से अलग होने से पहले, हम इस न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करने में, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में न्यायमित्र के रूप में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा प्रदान की गई सामान्य, सक्षम सहायता को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं और आदेश देना चाहते हैं।

20. तदनुसार अपील की अनुज्ञात जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है। 21. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुज्ञात गई।

दिव्या पांडे

